सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–16.05.2024 को जूम के माध्यम से सम्पन्न विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– यथा संधारित।

दिनांक–16.05.2024 को राज्य के 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों के प्रगति की समीक्षा सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, जिलास्तरीय पदाधिकारियों एवं भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों के साथ अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना अध्यक्षता में की गई है।

बैठक में सर्वप्रथम 2500 खेसरों से कम वाले राजस्व ग्रामों के प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशन की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त निम्नरूपेण प्रगति पाई गई–

I. <u>2500 खेसरों से कम वाले राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण की प्रगति</u>

2500 खेसरा तक विशेष् सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति

क्र0 सं0	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0पी0 एम0 लंबित	एल0पी0 एम0 वितरण के पश्चात् सुनवाई	विश्रांति के लिए लंबित राजस्व ग्राम	Map Updation के लिए लंबित	अभ्युक्ति
1	अरवल	166	163	3	0	0	0	1	0	2	
2	बेगूसराय	286	269	17	1	2	4	6	2	2	
3	खगड़िया	79	77	2	2	0	0	0	0	0	
4	किशनगंज	284	166	118	0	65	3	38	9	3	
5	मधेपुरा	61	55	6	0	0	0	0	3	3	
6	मुंगेर	264	263	1	0	0	0	1	0	0	
	कुल	1140	993	147	3	67	7	46	14	10	

समीक्षोपरान्त उक्त प्रगति के सम्बन्ध में विभिन्न जिलों द्वारा निम्न प्रतिवेदन दिया गया–

(i) अरवल जिले द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रपत्र–12 के लिए लम्बित 2500 खेसरों से कम वाले 3 लम्बित ग्रामों में 2 हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के पास अपडेशन हेतु लम्बित हैं एवं 1 ग्राम में सुनवाई का कार्य समय–सीमा के अन्दर पूर्ण हो जाएगा।

(ii) बेगूसराय के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि 2500 खेसरों तक वाले लम्बित 17 ग्रामों में 6 राजस्व ग्रामों जिनमें रेलवे एवं NH की भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी समस्या है, को छोड़कर कुल 282 राजस्व ग्रामों का प्रपत्र–12 प्रकाशित कर दिया गया है।

(iii) खगड़िया के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि 2500 खेसरों तक वाले ग्रामों में से 1 में ग्रामिणों द्वारा पूर्णतया असहयोग किया जा रहा है और केवल दखल के आधार पर पूर्व के सर्वेक्षण में सरकारी भूमि के रूप में चिन्हित भूमि का खतियान रैयतों के नाम पर खोलने की माँग की जा रही है। एक अन्य दूसरे ग्राम में निदेशालय स्तर से मार्गदर्शन की मांग की गई है।

(iv) किशनगंज के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के प्रथम चरण अन्तर्गत सभी 460 राजस्व ग्रामों में खानापुरी का कार्य होने के कारण प्रारूप प्रकाशन के लिए लम्बित 2500 खेसरों तक वाले 118 ग्रामों में प्रपत्रत्र–12 के प्रकाशन का कार्य बधित है।

(v) मधेपुरा के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 2500 खेसरा तक वाले मात्र 2 ग्रामों में प्रपत्र–12 का प्रकाशन लम्बित है, जिसे एक सप्ताह में कर लिया जाएगा।

निदेशित किया गया कि बेगूसराय के जिन ग्रामों में NH एवं रेलवे की भूमि के स्वामित्व निर्धारण सम्बन्धी समस्या है, वहाँ उपलब्ध साक्ष्य एवं वास्तविक स्थलीय सत्यापन के आधार पर प्रपत्र–12 का प्रकाशन कर दिया जाए एवं इसके विरूद्ध प्राप्त आपत्ति के आधार पर बाद में सुधार किया जाए। खगड़िया में जिस ग्राम में ग्रामीणों द्वारा सर्वे का विरोध कर रहे हैं, वहाँ जो भी उपलब्ध साक्ष्य हैं, उनके एवं विगत खतियान के आधार पर सर्वे की कार्रवाई की जाए। किशनगंज को निदेशित किया गया कि 15 जून तक सभी ग्रामों की खानापुरी का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। यह भी निदेशित किया गया कि 12 अप्रैल, 2024 को हुई। बैठक के पश्चात् 16 मई, 2024 तक विभिन्न जिलों में खानापुरी के प्रगति की क्या स्थिति रही है, इसकी समीक्षा कर ली जाए एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक अमीन द्वारा प्रतिदिन 50 खेसरों की खानापुरी की जा रही है अथवा नहीं।

II. <u>2501 से 5000 खेसरा तक वाले राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण की प्रगति</u>

2500 खेसरों तक वाले ग्रामों की प्रगति के समीक्षोपरांत 2501 से 5000 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों में प्रगति की समीक्षा की गई एवं जिलावार, प्रक्रमवार किये जाने वाले कार्य की अद्यतन स्थिति निम्नवत् पाई गई–

2500 से 5000 खेसरा तक विशेष् सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति

क्र० सं०	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी			प्रपत्र . 6 इंट्री प्रक्रियाधीन ग्रामों की संख्या	एल०पी०एम०		सुनवाई		अभ्युक्ति
					वैसे राजस्व ग्राम जहां खानापुरी शुरू नहीं हुआ	खानापुरी कार्य चल रहा है।	खानापुरी पूर्ण परंतु प्रपत्र . 6 इन्द्री शुरू नहीं हुआ है।		एल० पी० एम० लंबित	एल० पी० एम० वितरित	राजस्व ग्राम जहाँ सुनवाई चल रही है।	सुनवाई पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या	
1	अररिया	32	10	22	1	1	0	7	4	0	9	2	
2	अरवल	88	14	74	2	11	8	13	10	6	11	13	
3	बांका	57	23	34	0	4	5	15	0	1	10	1	
4	बेगूसराय	67	9	58	7	19	0	17	2	12	6	6	
5	जमुई	30	11	19	इनके द्वारा सभी अमीन को खानापुरी कार्य मे लगा दिया गया है।								
6	जहानाबाद	56	23	33	0	3	0	0	8	0	14	8	
7	कटिहार	34	33	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
8	खगडिया	45	10	35	0	5	0	13	4	5	8	0	
9	किशनगंज	97	0	97	0	82	8	6	1	0	0	0	

10	लखीसराय	85	13	72	0	11	0	47	0	0	8	5	
11	मधेपुरा	18	0	18	0	2	0	6	5	0	3	2	
12	मुंगेर	33	24	9	0	0	0	1	0	0	5	3	
13	नालंदा	102	60	42	0	0	0	0	0	0	19	21	
14	सहरसा	45	10	35	0	15	0	8	0	10	0	2	
15	शिवहर	25	19	6	0	0	1	2	0	1	2	0	
16	सीतामढी	106	24	82	0	28	0	30	3	0	17	4	
17	सुपौल	64	41	23	0	4	0	6	3	0	0	5	
18	प० चम्पारण	63	16	47	0	0	4	14	4	4	1	20	
	कुल	**1047**	**340**	**707**	**10**	**185**	**26**	**185**	**44**	**39**	**114**	**92**	

III. <u>5000 खेसरा तक वाले राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण की प्रगति</u>

5000 खेसरों तक वाले ग्रामों की प्रगति के समीक्षोपरांत 5000 से अधिक वाले खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों में प्रगति की समीक्षा की गई एवं जिलावार, प्रक्रमवार किये जाने वाले कार्य की अद्यतन स्थिति निम्नवत् पाई गई–

5000 से अधिक खेसरा तक विशेष सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति

क्र०सं०	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी			प्रपत्र . 6 इंट्री प्रक्रियाधीन ग्रामों की संख्या	एल०पी०एम०		सुनवाई		अभ्युक्ति
					वैसे राजस्व ग्राम जहां खानापुरी शुरू नहीं हुआ	खानापुरी कार्य चल रहा है।	खानापुरी पूर्ण परंतु प्रपत्र . 6 इन्ट्री शुरू नहीं हुआ है।		एल० पी० एम० लंबित	एल० पी० एम० वितरित	राजस्व ग्राम जहाँ सुनवाई चल रही है।	सुनवाई पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या	
1	अररिया	34	0	34	5	14	0	18	0	0	2	0	
2	अरवल	58	0	58	0	42	0	15	0	0	1	0	
3	बांका	48	0	48	0	33	1	6	1	0	2	1	
4	बेगूसराय	75	1	74	3	56	0	10	3	2	2	0	
5	जमुई	56	0	56	इनके द्वारा सभी अमीन को खानापुरी कार्य मे लगा दिया गया है।								
6	जहानाबाद	25	0	25	0	6	0	14	2	0	2	1	
7	कटिहार	17	3	14	0	0	0	1	0	0	5	8	
8	खगडिया	32	0	32	0	23	0	6	0	1	3	0	
9	किशनगंज	73	0	73	0	73	0	0	0	0	0	0	
10	लखीसराय	59	0	59	8	38	0	14	0	0	0	0	
11	मधेपुरा	35	0	35	0	31	2	2	0	0	0	0	
12	मुंगेर	8	0	8	0	5	0	0	0	0	3	0	
13	नालंदा	77	2	75	0	40	0	23	7	0	4	1	
14	पूर्णियाँ	13	0	13	0	5	0	5	1	2	0	0	
15	सहरसा	35	0	35	0	24	0	9	0	2	0	0	
16	शेखपुरा	60	30	30	0	4	0	14	0	0	9	3	
17	शिवहर	24	0	24	0	15	5	4	0	0	0	0	
18	सीतामढी	57	1	56	0	43	0	8	1	0	4	0	
19	सुपौल	111	8	103	0	87	2	3	2	1	7	1	
20	प० चम्पारण	66	0	66	0	42	11	8	2	1	1	1	
	कुल	**963**	**45**	**918**	**16**	**581**	**21**	**160**	**19**	**9**	**45**	**16**	

2501 से 5000 तक वाले खेसरा तथा 5000 से अधिक खेसरा वाले सभी राजस्व ग्रामों के प्रक्रमवार प्रगति की समीक्षा उपरान्त विभिन्न जिलों प्राप्त प्रतिवेदन एवं समीक्षोपरान्त दिए गए निदेश निम्नवत है:–

(i) सभी जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि कुछ बहुत बड़े ग्रामों को छोड़कर सारे ग्रामों में खानापुरी का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है एवं जून, 2024 माह में खानापुरी समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा की जा रही है। यह भी बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर खानापुरी का कार्य पूर्ण किये जाने के कारण प्रपत्र–6 की इंट्री का कार्य बाधित हुआ हैं एवं प्रपत्र–12 में प्रकाशित ग्रामों की संख्या में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। कटिहार के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रथम चरण के सभी ग्रामों में खानापुरी पूर्ण कर ली गई है एवं द्वितीय चरण के 03 नये अंचलों में भी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

निदेशित किया गया कि निदेशालय स्तर से भी प्रतिदिन खानापुरी के प्रगति की समीक्षा नोडल पदाधिकारियों द्वारा भी की जाय एवं यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रति अमीन प्रतिदिन कम–से–कम 50 या 50 से अधिक खेसरों की खानापुरी की जाय।

(अनुपालन– सभी जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी)

(ii) सभी जिलों को अवगत कराया गया कि जून माह नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का योगदान जिला स्तर पर कराया जाएगा। जिला स्तर पर कर्मियों का योगदान करने से संबंधित ऑनलाईन प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा मई माह के अंत में दिया जाएगा।

निदेशित किया गया कि सभी जिले योगदान स्वीकृति करने संबंधी योजना ससमय तैयार कर लेगें। यह भी निदेशित किया गया कि वैसे 18 जिले जहाँ विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया जाना है, वहाँ विशेष सर्वेक्षण संचालित 20 जिलों में पदस्थापित विशेष सर्वेक्षण स0ब0प0/कानूनगो को प्रतिनियुक्त किया जाएगा।

(अनुपालन– श्री कुणाल किशोर, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल)

(iii) निदेशित किया गया कि में लगभग जिन ग्रामों में प्रपत्र–12 का प्रकाशन किया जा चुका है और अमीनों द्वारा खानापुरी की जा रही है, वहाँ प्रपत्र–12 के बाद की सुनवाई प्रक्रिया में तेजी लाई जाए एवं प्रतिदिन शिविर प्रभारियों द्वारा निष्पादित दावा, आपत्ति की समीक्षा की जाए। यह भी निदेशित किया गया कि निदेशालय स्तर से प्रपत्र–12 के प्रकाशन पश्चात् की प्रगति के लिए प्रपत्र तैयार कर आगामी बैठक में विभिन्न जिलों में प्रपत्र–12 के प्रकाशन उपरान्त हुई प्रगति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया जाए।

(अनुपालन– सभी जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी/ आई0 टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

(iv) नालंदा एवं सुपौल के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में किए गए अनुरोध के आलोक में निदेशित किया गया कि विभिन्न जिलों से मार्गदर्शन के सम्बन्ध में जो भी पत्र प्राप्त हुए हैं, उन्हें यथाशीघ्र निष्पादित करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन– श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, स0ब0प0, विशेष सर्वेक्षण शाखा, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

(v) विभिन्न जिलों में यथा– शिवहर, नालंदा इत्यादि द्वारा पूर्व से अनुपलब्ध मानचित्रों की प्रति स्थानीय स्तर पर प्राप्त कर उसके डिजिटाईजेशन सम्बन्धी कार्रवाई तथा विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने के सम्बन्ध में निदेशित किया गया कि ऐसे किसी भी ग्राम के मानचित्र जो गुलजारबाग एवं जिला स्तर पर अनुपलब्ध हैं और बन्दोबस्त कार्यालयों द्वारा स्थानीय स्तर पर रैयतों से प्राप्त किए गए है, उन्हें डिजिटाईजेशन हेतु बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को उपलब्ध कराए जाने के पूर्ण इनकी प्रमाणिकता स्थापित करने के लिए निम्नांकित बिन्दुओं पर सम्बन्धित अंचल कार्यालय से प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाए–

(A) मानचित्र में प्रदर्शित ग्राम सीमा एवं भूखण्ड ग्राम की वर्त्तमान भौगोलिक स्थिति के अनुकूल हैं।

(B) मानचित्र को अंचलस्तरीय अमीन एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा नापी कार्य में उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं।

(C) मानचित्र से सम्बन्धित ग्राम के खतियान एवं जमाबंदी में खेसरों के स्वामित्व की स्थिति मानचित्र के अनुकूल है।

(D) वर्त्तमान समय में अंचल कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के राजस्व कार्यों तथा दाखिल खारिज, भू–अर्जन, बन्दोबस्ती इत्यादि में मानचित्र का उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं।

निदेशित किया गया कि उक्त बिन्दुओं के आलोक में प्रतिवेदन प्राप्त कर प्राप्त प्रतिवेदन के साथ मानचित्र को बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को डिजिटाईजेशन हेतु उपलब्ध कराया जाए।

(अनुपालन– सभी जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी)

(vi) बैठक में शिवहर एवं सीतामढ़ी के नोडल पदाधिकारी, श्री राजेश कुमार सिंह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जिलास्तरीय समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि अनेक ग्रामों में प्रपत्र–12 प्रकाशित कर दिया गया है किन्तु प्रारूप प्रकाशन के पूर्व के दावा, आपत्ति/आदेश को भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोड नहीं किया गया है।

निदेशित किया गया कि जिला एवं नोडल पदाधिकारी के स्तर से ऐसे ग्रामों से सम्बन्धित कानूनगो को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव दिया जाए।

(अनुपालन– बन्दोबस्त पदाधिकारी, शिवहर, सीतामढ़ी/श्री राजेश कुमार सिंह, अनुदेशक)

(vii) अरवल जिले द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बन्दोबस्त कार्यालय में एक भी उच्चवर्गीय एवं निम्नवर्गीय लिपिक पदस्थापित नहीं हैं। कुछ अन्य जिलों द्वारा मात्र एक कम्प्यूटर ऑपरेटर रहने के कारण आने वाली कठिनाई से अवगत कराया गया।

निदेशित किया गया कि निदेशालय स्तर से सभी जिलों के बन्दोबस्त कार्यालयों में पदस्थापित लिपिक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदस्थापन की समीक्षा कर वैसे जिलों को चिन्हित किया जाए, जहाँ एक भी लिपिक पदस्थापित नहीं है अथवा मात्र एक कम्पूटर ऑपरेटर पदस्थापित है। समीक्षा कर इस संबंध में प्रस्ताव उपस्थापित किया जाए।

(अनुपालन–प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

(viii) समीक्षा में पाया गया कि नालंदा द्वारा CVMS के तहत सर्वाधिक निरीक्षण प्रतिवेदन अपलोड किया गया है, जबकि अरवल, बेगूसराय एवं सहरसा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन अपलोड नहीं किया गया है। सभी जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि बन्दोबस्त कार्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों द्वारा शिविरों का सतत् अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जा रहा है।

निदेशित किया गया कि शिविरस्तरीय निरीक्षण उपरांत CVMS में निश्चित रूप में प्रतिवेदन संधारित किया जाए एवं निरीक्षण के क्रम में प्रगति के साथ कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।

(अनुपालन– सभी जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी)

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
(जय सिंह)
सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
–सह–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (04) वि0सर्वे0–10/2022 ....2271........ **पटना, दिनांक:** 27/05/2024

प्रतिलिपिः बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज, अररिया/अरवल/बांका/बेगूसराय/जमुई/जहानाबाद/कटिहार/खगड़िया/लखीसराय/मधेपुर/मुंगेर/नालंदा/पूर्णिया/सहरसा/शेखपुरा/शिवहर/सीतामढ़ी/सुपौल/प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/5/2024
सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (04) वि0सर्वे0–10/2022 ....2271........ **पटना, दिनांक:** 27/05/2024

प्रतिलिपिः प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, किशनगंज/अररिया/अरवल/बांका/बेगूसराय/जमुई/जहानाबाद/कटिहार/खगड़िया/लखीसराय/मधेपुरा/मुंगेर/नालंदा/पूर्णिया/सहरसा/शेखपुरा/शिवहर/सीतामढ़ी/सुपौल/प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/5/2024
सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (04) वि0सर्वे0–10/2022 ......2271...... **पटना, दिनांक**27/05/2024

प्रतिलिपि : उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप/प्रशाखा पदाधिकारी/संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग/प्रभारी, आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/5/2024

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (04) वि0सर्वे0–10/2022 ......2271...... **पटना, दिनांक**: 27/05/2024

प्रतिलिपि: प्राचार्य, राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना/राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना में पदस्थापित सभी अनुदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (04) वि0सर्वे0–10/2022 ......2271...... **पटना, दिनांक**: 27/05/2024

प्रतिलिपि: सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0), किशनगंज/अररिया/अरवल/बांका/बेगूसराय/जमुई/जहानाबाद/कटिहार/खगड़िया/लखीसराय/मधेपुरा/मुंगेर/नालंदा/पूर्णिया/सहरसा/शेखपुरा/शिवहर/सीतामढ़ी/सुपौल/प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (04) वि0सर्वे0–10/2022 ......2271...... **पटना, दिनांक**: 27/05/2024

प्रतिलिपि : हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, ARAHAS Technology Pvt. Ltd. (Indo Enviro Integrated Solution Limited (IL&FS)), GISC, IIC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (04) वि0सर्वे0–10/2022 ......2271...... **पटना, दिनांक**: 27/05/2024

प्रतिलिपि : श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (04) वि0सर्वे0–10/2022 ......2271...... **पटना, दिनांक**: 27/05/2024

प्रतिलिपि : निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

24/5/2024

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एव परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0 (04) वि0सर्वे0–10 / 2022 ....2271........**पटना, दिनांक**:..27/05/2024..

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

24/5/2024

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0 (04) वि0सर्वे0–10 / 2022 ....2271........**पटना, दिनांक**:..27/05/2024..

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

24/5/2024

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप